

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांकC/4817/

जबलपुर, दिनांक 2 / 7 / 24

श्री अशोक कुमार बाल्मिक, कोर्ट अटेडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के दिनांक 02.04.2024, 08.04.2024, 12.04.2024, 13.04.2024, 24.04.2024, 25.04.2024 एवं 30.04.2024 को बिना सूचना एवं आवेदन पत्र के अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने एवं कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत न करते हुये आदेश की अवहेलना करने के फलस्वरूप उक्त अवधि का अवैतनिक किया जाता है।


सही / -
(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/4818/

जबलपुर, दिनांक 2 / 7 / 24

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री अशोक कुमार बाल्मिक, कोर्ट अटेडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)